

**DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (P) DR
VARUNALAYA PHASE-I, KAROL BAGH NEW DELHI - 05**

PUBLIC NOTICE

Invitation of Application for Grant of Licence for Collection and Transportation of Septic Tank Waste.

- Delhi Jal Board has notified the Delhi Water Board Septic Tank Waste Management Regulations Act -2015 under Delhi Water Board Act-1998 for collection, transportation and disposal of waste of septic tank and matter connected therewith and incidental or ancillary thereto.
- As per the Regulations, Septic Tank Waste shall be collected and transported only by an agency having a valid licence for this purpose issued by Delhi Jal Board.
- Applications are invited from the Individual/Agencies /Firms /Companies for grant of licence for collection, transportation and disposal of Septic Tank Waste.
- The above said regulations, application Performa, Terms & Conditions of Licence and notified sites for disposal of waste can be downloaded from Delhi Jal Board website www.delhijalboard.nic.in or may be obtained from the designated DJB office.
- The applicant must reach the designated office of DJB within one month.
- It may be noted that undertaking this task without a valid license or/and dumping the septic tank waste at any non-designated location will be punishable as per law.

Sd/-
EE (P) DR.

No. DJB/EE(P)DR/2015/

Dated: - 17.08.2015

Copy to :-

1. P.S. to Chairperson (DJB) for information please.
2. P.S. to Vice Chairperson (DJB) for information please.
3. P.S. to CEO (DJB) for information please.
4. M (Dr.)/M (W/S)/M (F)/ M (A),
5. All CEs
6. Dir (A&P)/ (F&A)/(Revenue)/(S&DM)/(DTQC)/(DOV)
7. All SEs (SDW) with 3 spare copies for EE (SDW)
8. EE (EDP) Cell with the request to upload on DJB website.
9. Conslt. (PR) with 10 spare copies for wide publicity in prominent News Papers of English, Hindi, Urdu and Punjabi.
10. Office copy.

EE (P) DR.

**PEFORMA OF APPLICATION FOR THE LICENCE FOR COLLECTION,
TRANSPORTATION AND DISPOSAL OF SEPTAGE**

PASTE
PHOTO
(SELF
ATTESTED)

1. Name of the applicant: Shri/Ms _____
2. Nationality: Indian _____ Other _____
3. Address: Regd. Office: _____
Head office: _____
4. Telephone No.: (O) _____ Mobile No. _____ Email ID _____
5. Registration No. of Vehicle : _____
6. Pollution certificate of the vehicle valid up to: _____
7. Insurance of the vehicle valid up to: _____
8. Fitness of the vehicle valid up to: _____
9. Vehicle, whether fitted with GPS: _____
10. Details of the vehicles indicating leak proof, odour and spill proof having proper vacuum/ suction and discharging arrangement (Document proof of any may be enclosed).
11. Processing fee for licence Rs. 1000/- (Non-refundable)
D.D. No. _____ Date _____ Bank _____

I/We certify that information given by me/us in column 1 to 11 are true to the best of my knowledge and belief. I also certify that I have read and understood the attached terms and conditions 1 to 13 and agree to abide by them. I agree that if any information given by me is found wrong the application for licence will be liable for cancellation at any time.

Signature(s) of applicant(s)

Date: _____

No. of document attached: _____

Delhi Water Board Septic Tank Waste Management Regulations 2015

In exercise of powers conferred by Section 109 of the Delhi Water Board Act, (Act No. 4 of 1998), the Board hereby makes the following Regulations, for collection, transportation and disposal of waste of septic tanks and for matters connected therewith and incidental or ancillary thereto.

CHAPTER – I

1.

- (a) These regulations may be called ‘Delhi Water Board Septic Tank Waste Management Regulations 2015’
- (b) These Regulations shall come into force from the date of its issuance by the Board and subject to Section 109(3) of the Delhi Water Board Act 1998.

2. Definitions:

- (i) ‘Act’ means the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act N0. 4 of 1998);
- (ii) ‘Board’ means the Board as defined in the Act;
- (iii) ‘CEO’ means the Chief Executive Officer of the Board;
- (iv) “Drain” means a line of pipes including all fittings and equipment such as manholes, traps, gullies and floor traps used for the drainage of one building, or any buildings or yards appurtenant to the building, within the same curtilage and includes a house drain.
- (v) “Licensee” means a written permission granted for this purpose to any person, having mentioned the purpose, period, name and address, route etc. under the signature of the authorized signatory of the DJB.
- (vi) “Manhole” means an opening by which a man may enter or leave a sewer or other closed structure for inspection, cleaning and other maintenance operations, fitted with a suitable cover.
- (vii) “Notified location” means the location of delivery and disposal of septage as defined and earmarked by DJB
- (viii) “Septage” means fecal sludge produced in septic tanks.
- (ix) “Septic Tank” An underground tank that treats wastewater by a combination of solids settling and anaerobic digestion. The effluents may be discharged into soak pits or small bore sewers and the solids have to be pumped out periodically.
- (x) “Sewers” means conduits provided for the purposes of carrying the liquid wastes of the community, otherwise known as sewage or sludge.

- (xi) “Sewage pumping station (SPS)” means the pump house of Delhi Jal Board from where sewage is pumped to a desired location.
- (xii) “Sewage Treatment plant (STP)” means the place where sewage is treated by Delhi Jal Board.
- (xiii) “Sludge” means the settled solid matter in semi-solid condition, it is usually a mixture of solids and water deposited on the bottom of septic tank ponds etc. The term sewage sludge is generally used to describe residuals from centralized waste water treatment while the term septage is used to describe the residual from septic tank.
- (xiv) “Registered Vehicle’ means a vehicle due registered by the Transport authority of the state to perform the designated purpose.
- (xv) “Treatment” means any method technical or process design to alter the physical, chemical or biological and radiological character or composition of any waste or waste water to reduced or prevent pollutions.

All other words and expressions used in these regulations and not defined in these regulations and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them under the Act of or in absence thereof, the meaning as commonly understood in the water supply and sewage treatment / disposal industry.

CHAPTER-II

LICENCE FOR COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SEPTAGE

3. Licence to be issued by the Board.

CEO will authorize officer(s) of the Board to issue licence for collection and transportation of septage to notified locations.

- (i) Licence will be issued in the format prescribed in Annexure -1 of these regulations and will be valid for a period of two years from the date of issue, unless revoked earlier.

4. Criteria for issue of Licence

(a) The applicant should own leak-proof, odour and spill proof transporting vehicle (s) with a proper vacuum/ suction and discharging arrangement.

The vehicle should have a valid permit of the Transport Department to operate in Delhi.

The applicant should have staff adequately trained for this purpose.

The staff should be equipped with safety gears and other protective equipment required to safely collect, transport and dispose of the septage at the notified locations.

5. Application for Licence

The application for obtaining licence for collection, transportation and disposal of septage shall be submitted in such format and with such documents as prescribed by the CEO.

6. Invitation of applicants to apply for licence.

Delhi Jal Board shall give wide publicity on its web site and through newspapers and other media inviting prospective applicants to apply for the licence.

7. Fee for the Licence

Delhi Jal Board shall charge an amount of Rs. 1000/- (Rupees one thousand) as application fee for processing the application for grant of licence. The fee will be non-refundable. The fee can be paid electronically or by Demand Draft in favour of Delhi Jal Board.

8. Performance Guarantee.

The Licensee shall deposit with the Board Performance Guarantee of Rupees Ten Thousand which shall be forfeited in case of any violation.

9. Publicity of the licenced agencies.

The Board will give wide publicity to the agencies who have been granted licence under these regulations to undertake the work of collections & transportation of septage.

10. Awareness Campaign

The Board will undertake an awareness campaign to make the people aware of these regulations as well as the need to engage only the licenced agencies for collection, transportation and disposal of septage.

CHAPTER-III

11. **COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SEPTAGE**

Only licenced agencies to collect and transport septic tank waste. Septic tank waste shall be collected and transported only by an agency having a valid licence for this purpose issued by the Delhi Jal Board in the format prescribed at Annexure-1 of these regulations.

12. **Owner/occupier of building to engage only licenced agency.**

- (a) It shall be the duty of each owner/occupier of the building to engage the services of only those agencies which have been issued licence by the Board for collection and transportation of septage.
- (b) The owner/occupier shall confirm that the licence issued to the agency is valid on the date of execution of work. She/he shall also append her/his signature to the collection and transport record form prescribed at Annexure-2 of these regulations.

13. **Fee for Collection/Transportation of septage.**

- (a) The fee for collection and transportation of Septic Tank Waste upto notified locations at SPS/STP shall be as prescribed by the CEO from time to time.
- (b) No licensee shall charge any amount from the owner/occupier of the building in excess of the prescribed fee.
- (c) Any demand for fee for collection and transportation of septage in excess of the fee prescribed by the CEO shall make the licensee liable for cancellation of licence and imposition of penalty prescribed for violation of these regulations.

14. **Vehicles for Transportation of Septage**

The Septage shall be transported only in the vehicles approved for this purposes by the officer authorized for this purpose by the CEO.

15. **Precautions during Transportation.**

The licensee shall ensure that there is no leakage of the septage during transportation from the collection point to the notified location for disposal.

16. **Preventive measure in case of accident.**

The vehicle carrying septage shall be fitted with prescribed equipments to take care of threat of pollution due to any accident during the movement of the vehicle from Collection point to the notified disposal location.

17. **Full liability of licensee in case of accident.**

The licensee shall be fully and completely liable for any damage to any person, vehicles, property and environment in case of any accident or disaster.

18. **Safety measure for the staff deployed.**

The licensee shall be responsible for taking all the safety measures including provision of hand held gas detectors, gas masks, protective gear, oxygen mask with oxygen cylinder and first aid box etc. and such other measures as prescribed by the officer authorized by the CEO for grant of licence for the people deployed for collection and transportation of septage.

19. **Disposal of Septage.**

(a) The licensee shall dispose of septage only at the locations notified by the Delhi Jal Board.

(b) The licensee shall submit the septage collection and disposal form prescribed at Annexure -2 of these regulations duly filled up with factual details to the official of the Board deployed to receive the septage at the notified locations.

20. **Training of Staff.**

The licensee shall be responsible for regular training of the staff deployed in collection, transportation and disposal of the septage use of protective equipment for taking measures to minimize the damage to the environment in case of an accident.

21. **Regular Health Check up of staff**

The licensee shall be responsible for ensuring that every person deployed under goes health check-up at least once in every year and submit record of the same to DJB at the time of renewal of licence.

22. **Insurance**

The staff deployed by the licensee shall be insured for accident during the process of cleaning, transportation and disposal of septage.

23. **Cancelation of licence.**

In case of violation of any of the provisions of these regulations the licence shall be liable to be cancelled, security of the licensee shall be forfeited and he shall also be liable to pay penalty as prescribed for violation of these regulations.

CHAPTER IV

Disposal of Septage

24. **Identification of Disposal Sites**

The CEO will identify and notify the Sewage Pumping Stations or/and Sewage Treatment plants where the septage can be deposited by the licenced agencies.

25. **Creation of Infrastructure to receive the septage.**

At the notified locations, the Board will create necessary infrastructure and provide necessary equipments so that septage brought by the licenced agency can be received and disposed of in a proper manner.

26. **Deployment of staff to receive the septage**

The Board shall deploy staff at each notified location, sufficient and trained staff to receive the septage and dispose it off through the Sewage Treatment Plants or/and Sewage Pumping Stations as the case may be.

27. **Timing to receive the septage**

The septage will be received by the officials of the Board at each notified locations on all days from 7.00 a.m. to 7.00 p.m.

28. **Industrial Waste not to be received.**

The Board shall not receive any septage containing the industrial waste at any of the notified locations.

29. **Training in Septage Management**

The Board's staff deployed at the notified locations will be trained for receiving and disposed of septage.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

30 Display of licence and colour coding on the vehicle

(a) A copy of licence shall be prominently displayed on the vehicle used for transportation of septage.

(b) The vehicle/ container/tanker shall be painted with Yellow colour duly marked with (the precaution) in Red Colour “SEPTIC TANK WASTE” (in English) and “३३३३३३” (in Hindi).

31 Installation of GPS system

Each vehicle used for transportation of septage shall be fitted with GPS device and access rights of the same shall be given to the Board and the agency notified by the CEO for tracking of such vehicles.

ANNEXURE-I

LICENCE FOR COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SEPTAGE

In accordance with all the terms and conditions of the By-laws/ Regulations the special licence conditions accompanying this licence and applicable rules, laws of Government of N.C.T. of Delhi permission is hereby granted to:

NAME OF LICENSEE.....

ADDRESS.....

.....

For the disposal of septage from septic tank at the
.....SPS/ STP of DJB.

This licence is based on information provided in the Septage Transporter licence application.

This licence is effective for the period set forth below, may be suspended or revoked for Condition of Non Compliance and is not transferable. The original licence shall be kept on file in the Licensee's office. A copy of this licence shall be carried in every registered vehicle used by the Licensee.

EFFECTIVE DATE

EXPIRATION DATE

Licence is liable to be cancelled in case of violation of any Acts, Rules and Regulations relating to the operation of Septage System or in cases of Safety protocols not being adhered to or in case of non-permitted disposals.

ANNEXURE-2

COLLECTION AND TRANSPORT RECORDS FORM

Sample Form to be filled by Licensee

i. Identification of Waste:

- a) Volume
- b) Type: _____
Septic Tank _____ Others
- c) Address

ii. Details of Waste Generator:

- a) Name
- b) Phone Number
- c) Address
- d) Pin

The undersigned being duly authorized does hereby certify the accuracy of the source and type of wastewater collected and transported

Date _____ Signature (of the generator).

iii. Details of Transporter/Operator:

- a) Company Name
- b) Permit No.
- c) Vehicle License
- d) Pump out date

The above described wastewater was collected and disposed by me to the disposal facility name below and was discharged. I certify that the foregoing is true and correct.

e) **Signature of authorized agent and title:** _____

iv. Acceptance by _____ DJB's authorized SPS/STP

The above transporter delivered the described septage to this disposal facility and it was accepted.

Disposal Date _____ Amount Collected from Transporter _____

Signature of authorized signatory and title _____

NOTE: SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF DELHI WATER BOARD SEPTIC TANK WASTE MANAGEMENT REGULATIONS 2015 AND ORDERS/GUIDELINES ISSUED BY THE BOARD UNDER THESE REGULATIONS FROM TIME TO TIME.

TERMS AND CONDITIONS

1. Licence to be issued by the Board.

Chief Engineer (E&M) Planning has been authorized by the Board to issue licence for collection and transportation of septage to notified locations.

- (i) Licence will be issued in the format prescribed in Annexure -1 of these regulations and will be valid for a period of two years from the date of issue, unless revoked earlier.

2. Criteria for issue of Licence

(a) The applicant should own leak-proof, odour and spill proof transporting vehicle (s) with a proper vacuum/ suction and discharging arrangement.

The vehicle should have a valid permit of the Transport Department to operate in Delhi.

The applicant should have staff adequately trained for this purpose.

The staff should be equipped with safety gears and other protective equipment required to safely collect, transport and dispose of the septage at the notified locations.

3. Fee for the Licence (for each vehicle)

Delhi Jal Board shall charge an amount of Rs. 1000/- (Rupees one thousand) as application fee for processing the application for grant of licence for each vehicle. The fee will be non-refundable. The fee can be paid electronically or by Demand Draft in favour of "Delhi Jal Board".

4. Performance Guarantee (for each vehicle)

The Licensee shall deposit with the Board Performance Guarantee of Rupees Ten Thousand (for each vehicle) which shall be forfeited in case of any violation.

5. Collection and transportation of septage

Only licenced agencies to collect and transport septic tank waste. Septic tank waste shall be collected and transported only by an agency having a valid licence for this purpose issued by the Delhi Jal Board in the format prescribed at Annexure-1.

In case of any violation to the above, the agency undertaken such work without a valid licence from DJB shall be liable/punitive action by the concerned authority(s).

6. Owner/occupier of building to engage only licenced agency.

- (a) It shall be the duty of each owner/occupier of the building to engage the services of only those agencies which have been issued licence by the Board for collection and transportation of septage.

- (b) The owner/occupier shall confirm that the licence issued to the agency is valid on the date of execution of work. She/he shall also append her/his signature to the collection and transport record form prescribed at Annexure-2.

7. **Fee for Collection/Transportation of septage.**

- (a) The fee for collection and transportation of Septic Tank Waste upto notified locations at SPS/STP shall be as prescribed by DJB from time to time.
- (b) No licensee shall charge any amount from the owner/occupier of the building in excess of the prescribed fee.
- (c) Any demand for fee for collection and transportation of septage in excess of the fee prescribed by the CEO shall make the licensee liable for cancellation of licence and imposition of penalty prescribed for violation of these regulations.

8. **Vehicles for Transportation of Septage**

The Septage shall be transported only in the vehicles approved for this purpose by the officer authorized for this purpose by the department.

9. **Precautions during Transportation.**

The licensee shall ensure that there is no leakage of the septage during transportation from the collection point to the notified location for disposal.

10. **Preventive measure in case of accident.**

The vehicle carrying septage shall be fitted with prescribed equipments to take care of threat of pollution due to any accident during the movement of the vehicle from Collection point to the notified disposal location.

11. **Full liability of licensee in case of accident.**

The licensee shall be fully and completely liable for any damage to any person, vehicles, property and environment in case of any accident or disaster.

12. **Safety measure for the staff deployed.**

The licensee shall be responsible for taking all the safety measures including provision of hand held gas detectors, gas masks, protective gear, oxygen mask with oxygen cylinder and first aid box etc. and such other measures as prescribed by the officer authorized by the CEO for grant of licence for the people deployed for collection and transportation of septage.

13. **Disposal of Septage.**

(a) The licensee shall dispose of septage only at the locations notified by the Delhi Jal Board .

(b) The licensee shall submit the septage collection and disposal form prescribed at Annexure -2 of these regulations duly filled up with factual details to the official of the Board deployed to receive the septage at the notified locations.

14. **Training of Staff.**

The licensee shall be responsible for regular training of the staff deployed in collection, transportation and disposal of the septage use of protective equipment for taking measures to minimize the damage to the environment in case of an accident.

15. **Regular Health Check up of staff**

The licensee shall be responsible for ensuring that every person deployed under goes health check-up at least once in every year and submit record of the same to DJB at the time of renewal of licence.

16. **Insurance**

The staff deployed by the licensee shall be insured for accident during the process of cleaning, transportation and disposal of septage.

17. **Cancelation of licence.**

In case of violation of any of the provisions of these regulations the licence shall be liable to be cancelled, security of the licensee shall be forfeited and he shall also be liable to pay penalty as prescribed for violation of these regulations.

18. **Identification of Disposal Sites**

The department will identify and notify the Sewage Pumping Stations or/and Sewage Treatment plants where the septage can be deposited by the licenced agencies.

19. **Deployment of staff to receive the septage**

The Board shall deploy staff at each notified location, sufficient and trained staff to receive the septage and dispose it off through the Sewage Treatment Plants or/and Sewage Pumping Stations as the case may be.

20. **Timing to receive the septage**

The septage will be received by the officials of the Board at each notified locations on all days from 7.00 a.m. to 7.00 p.m.

21. **Industrial Waste not to be received.**

The DJB staff shall not receive any septage containing the industrial waste at any of the notified locations.

22. **Display of licence and colour coding on the vehicle**

(a) A copy of licence shall be prominently displayed on the vehicle used for transportation of septage.

(b) The vehicle/ container/tanker shall be painted with Yellow colour duly marked with (the precaution) in Red Colour "SEPTIC TANK WASTE" (in English) and "३३३३३३ण" (in Hindi).

23. **Installation of GPS system**

Each vehicle used for transportation of septage shall be fitted with GPS device and access rights of the same shall be given to the Board and the agency notified by the CEO for tracking of such vehicles.

24. **Application for Licence**

The forms for applying for licence along with terms and conditions can be obtained from any of the offices of DJB. Similarly, the duly filled up forms along with the required documents and fee can be deposited with any offices of DJB where the photocopies of documents attached will be compared with the corresponding original documents.

After approval of the Nodal authority i.e. CE (E&M) Planning DJB, the Licence will be sent to the Postal address of the applicant and will also be uploaded on the DJB website from where it can be downloaded.

The application for obtaining licence for collection, transportation and disposal of septage shall be submitted in the format attached at Annexure III along with the following documents :-

- i) Format available as above to be duly filled up.
- ii) List of number of vehicles with registration number and year of Manufacture.
- iii) Self-attested Copy of valid Permits of vehicle(s) obtained from the Transport authority
- iv) Self-attested copy of proof of address for communication.
- v) List of employees
- vi) Details regarding past experience in lifting of septage (if any)
- vii) List of safety equipments with each vehicle
- viii) DD/ Pay order amounting to Rs 1000/- (One thousand only) per vehicle drawn in favour of Delhi Jal Board or Proof of transfer of payment electronically.
- ix) Performance guarantee in form of Bank Guarantee (valid for three years) in favour of CEO Delhi Jal Board amounting to Rs 10000/- (Rupees Ten Thousand) only per vehicle issued by any Nationalised Bank.
- x) Applicant to bring along Original documents for verification of Permit of vehicle(s) and address proof for verification at the time of submission of the application.

It is to undertake that the above stated terms and conditions have been clearly understood and I/we fully agree to abide by the same.

Name:

Address:

Contact no:

ANNEXURE-I

LICENCE FOR COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SEPTAGE

In accordance with all the terms and conditions of the By-laws/ Regulations the special licence conditions accompanying this licence and applicable rules, laws of Government of N.C.T. of Delhi permission is hereby granted to:

NAME OF LICENSEE.....

ADDRESS.....

.....

Type of vehicle-

Vehicle Registration No.-

For the disposal of septage from septic tank at the
.....SPS/ STP of DJB.

This licence is based on information provided in the Septage Transporter licence application.

This licence is effective for the period set forth below, may be suspended or revoked for Condition of Non Compliance and is not transferable. The original licence shall be kept on file in the Licensee's office. A copy of this licence shall be carried in every registered vehicle used by the Licensee.

EFFECTIVE DATE

EXPIRATION DATE

Licence is liable to be cancelled in case of violation of any Acts, Rules and Regulations relating to the operation of Septage System or in cases of Safety protocols not being adhered to or in case of non-permitted disposals.

Signature of stamp of issuing authority

ANNEXURE-II

COLLECTION AND TRANSPORT RECORDS FORM

Sample Form to be filled by Licensee

i. Identification of Waste:

- a) Volume
- b) Type: _____
Septic Tank _____ Others
- c) Address

ii. Details of Waste Generator:

- a) Name
- b) Phone Number
- c) Address
- d) Pin

The undersigned being duly authorized does hereby certify the accuracy of the source and type of wastewater collected and transported

Date _____ Signature (of the generator).

iii. Details of Transporter/Operator:

- a) Company Name
- b) Permit No.
- c) Vehicle License
- d) Pump out date

The above described wastewater was collected and disposed by me to the disposal facility name below and was discharged. I certify that the foregoing is true and correct.

e) **Signature of authorized agent and title:** _____

iv. Acceptance by _____ DJB's authorized SPS/STP

The above transporter delivered the described septage to this disposal facility and it was accepted.

Disposal Date _____ Amount Collected from Transporter _____

Signature of authorized signatory and title _____

NOTE: SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF DELHI WATER BOARD SEPTIC TANK WASTE MANAGEMENT REGULATIONS 2015 AND ORDERS/GUIDELINES ISSUED BY THE BOARD UNDER THESE REGULATIONS FROM TIME TO TIME.

Subject: - District wise locations of SPS of DJB for Discharging/unloading Septage.

WEST

S. No.	Name of Sewage Pumping Station	Address
1.	Sayyad Nangloi SPS	Near Crimination Ground Saiyyad Nangloi Village
2.	Punjabi Bagh SPS	Near Crimination Ground Punjabi Bagh
3.	Keshopur 12 MGD SPS	Inside the Keshopur STP
4.	Keshopur 20 MGD SPS	Inside the Keshopur STP
5.	Keshopur 40 MGD SPS	Inside the Keshopur STP
6.	SPS Rohini Sector-19	Rohini Sector-19, metro station near railway line Delhi-110085
7.	SPS Rohini Sector-23	Rohini Sector-23 Delhi-110085
8.	SPS Rohini Sector-25	Rohini Sector-25 Delhi-110085
9.	SPS Rampura	Rampura Village on the crossing railway line under bridge Delhi-110035
10.	SPS Nangloi	J.J. Colony Near railway line Delhi-110041
11.	Narela SPS	Near Harischander Hospital
12.	TU Block SPS	TU Block Pitampura New Delhi
13.	Moti Nagar SPS	Next Chest Clinic
14.	Prasad Nagar SPS	Near Radhaswami Satsang Gate No. 4
15.	Ranjeet Nagar SPS	Near Sarvodya Kanya Vidhalya
16.	Madhav Setu SPS	Near Satyam Cinema Patel Nagar
17.	C-Block, Inderpuri SPS	Near Ganga Mandir J.J. Colony, Inderpuri
18.	Sudershan Park SPS	Near Drain

SOUTH-WEST

S. No.	Name of Sewage Pumping Station	Address
1.	Tanners Colony SPS	Near H-3 Block, Vikaspuri

NORTH-EAST

S. No.	Name of Sewage Pumping Station	Address
1.	Ghonda-I SPS	Opposite Arvind Nagar Dispensary Gamri Road, Ghonda, Delhi-110053.
2.	Ghonda-II SPS	At main Ghonda Chowk Ghonda, Delhi-110053.
3.	Zafrabad SPS	Near DDA flats, New Zafrabad, Delhi-110032.
4.	Brahm Puri SPS	Near Gautam Puri Over Head Tank,

		Brahmpuri, Delhi-110053.
5.	50 MGD New Yamuna Vihar SPS	Near Water Emergency Wazirabad Road, Delhi-110053.
6.	East of Loni Road SPS	Loni
7.	Usmanpur SPS	MCD Flats
8.	Seelampur SPS	GT Road, Seelampur
9.	Ram Nagar SPS	Ram Nagar
10.	Loni Road SPS	Loni Road MIG Flats
11.	STP Rithala SPS	Rohini, Sect-11 Delhi
12.	Rithala SPS	Rohini, Sect-9 Delhi
13.	Avantika SPS	Rohini Sect-1 Delhi
14.	Sector – 17 SPS	Rohini Sect-17, Delhi
15.	Haiderpuri SPS	Rohini, Sect-6, Delhi
16.	Shalimar Bagh SPS	Shalimar Bagh, Delhi
17.	Bharat Nagar SPS	Bharat Nagar, Ashok Vihar, Delhi

EAST

S. No.	Name of Sewage Pumping Station	Address
1.	Geeta Colony SPS.	Geeta Colony SPS, Opposite Rani Garden, Near Taj Enclave, Delhi-110031.
2.	Preet Vihar SPS.	Preet Vihar SPS, Opposite Metro Piler No.-70, Near Nirman Vihar Metro Station, Vikas Marg, Delhi-110092.
3.	Jagruti SPS.	Jagruti SPS, Karkari Crossing, Delhi-110092.
4.	Kalyanpuri SPS.	Kalyanpuri SPS, Opposite Kalyanpuri Police Station, Delhi-110091.
5.	Mandawali SPS	Mandawali SPS, Opposite BSES Grid, Delhi- 110092.
6.	Dallupura SPS.	Dallupura SPS, Near Shani Mandir, Delhi- 110096.
7.	Kondli Gharoli SPS.	Kondli-Gharoli SPS, Kondli Village, Near DDA Community Center, Delhi-110096.
8.	Shastri Park SPS	Shastri Park DDA Flat
9.	18 MGD Dilshad Garden SPS	Dilshad Garden
10.	Dilshad Garden SPS	Near C-Block School Dilshad Garden
11.	Dilshad Garden SPS	Near C-Block Park Dilshad Garden
12.	Leprosy Home SPS	Leprosy Home
13.	Mansarover Park SPS	Behind GTB Hospital
14.	Shastri Park SPS	Near Hanuman Mandir
15.	Behari Colony SPS	Behari Colony
16.	Dilshad Garden SPS	R-Block Dilshad Garden

SOUTH

S. No.	Name of Sewage Pumping Station	Address
1.	Possangipur SPS	Near BSES Office District Centre Janakpuri
2.	Uttam Nagar SPS	Back side of Uttam Nagar Bus terminal
3.	Jeevan Park SPS	Near End of Chankya Market
4.	Sector 7 SPS Dwarka	Opposite Gokul Garden Sector 7 Dwarka
5.	Sector 11 SPS Dwarka	Opposite Lal Bahadur Shastri Institute Sector 11 Dwarka
6.	Sector 16 SPS Dwarka	Near 20 MGD STP Pappanakaln Sector 16 D Dwarka
7.	Sector 24 SPS Dwarka	Opposite OPG worls School Sector 24 Dwarka
8.	Najafgarh SPS	At Main road near Sai Baba temple Najafgarh
9.	Nehru Vihar SPS	A – Block Nehru Vihar
10.	Sarai Kaley Khan SPS	Near Bus Terminal.
11.	Lodhi Road SPS	Near Jawahar lal Nehru Stadium.
12.	P.V. Hostel SPS	In Jawahar lal Nehru Stadium.
13.	Arjun Nagar SPS	Opposite Gurudwara of Arjun Nagar.
14.	EPR Colony SPS	Near G.K. Enclave-I
15.	Pul Pahladpur SPS	Near Temple Surajkund Road
16.	Okhla SPS	Okhla Phase-I Near FCI Godown.
17.	East of Kailash SPS	Near Naala Captain Gaur Marg.
18.	Sarita Vihar SPS	Sarita Vihar ,A- Block Near MCD Office.
19.	Sarita Vihar SPS	D & E Pocket Sarita Vihar.
20.	Vasant Kunj SPS	Sector C-9, Vasant Kunj.
21.	Vasant Kunj SPS	Sector B-5, Vasant Kunj.
22.	Jasola SPS	Jasola
23.	Tuglakabad Ext. SPS	Tuglakabad
24.	Dakshinpuri SPS	Dakshinpuri
25.	Kilokri SPS	Kilokri
26.	Ring Road SPS	Near Ring Road
27.	Batla House SPS	

CENTRE-NORTH

S. No.	Name of Sewage Pumping Station	Address
1.	Bharola SPS	Near Adarsh Nagar Metro station
2.	RU Nagar SPS	Near Jahangir Puri Metro station
3.	Adarsh Nagar SPS	Opposite Majlis Park/community centre
4.	Jahangir Puri SPS	E- Block, near MCD Quarter
5.	SGT Nagar SPS	Near GTK Road bypass
6.	Model Town SPS	Near model town staff Quarter/TPDDL office Model Town
7.	Azad Bhawan SPS	Near ITO.

List of the designated offices where applications for the obtaining licence for septage transportation can be deposited

S. No.	Designation of the officer	Address	Telephone No.
1	CHIEF ENGINEER (E&M) PLANNING NODAL OFFICER/LICENCE APPROVING AUTHORITY	Delhi Jal Board, Kilokari SPS, Jal Vihar, Lajpat Nagar, New Delhi-24	29811352
2	SUPERINTENDING ENGINEER (SDW)-I	Delhi Jal Board, Kondli Sewer Treatment Plant, Delhi	22611333
3	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-III	Delhi Jal Board, Yamuna Vihar STP, Wazirabad Road, Delhi-52	22814128
4	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-XIV	Delhi Jal Board, Kilokari SPS, Jal Vihar, Lajpat Nagar, New Delhi-24	29812939
5	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-XIII	Delhi Jal Board, Yamuna Vihar STP, Wazirabad Road, Delhi-52	22812784
6	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-IV	Delhi Jal Board, Kondli Sewer Treatment Plant, Delhi	22613156
7	EXECUTIVE ENGINEER(SDW)-V	Delhi Jal Board, Ring Road SPS, Opposite Maharani Bagh, Near Asharam crossing	26344231
8	SUPERINTENDING ENGINEER(SDW)-II	Delhi Jal Board, Rithala STP, Rohini Sector-11, Near Rithala Metro Station, Delhi-85	27044350
9	E.E(SDW)-VII	Delhi Jal Board, Rithala STP, Rohini Sector-11, Near Rithala Metro Station, Delhi-85	27602302
10	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-IX	Delhi Jal Board, Rithala STP, Rohini Sector-11, Near Rithala Metro Station, Delhi-85	27040740
11	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-XII	Delhi Jal Board, Rithala STP, Rohini Sector-11, Near Rithala Metro Station, Delhi-85	27048474
12	SUPERINTENDING ENGINEER (SDW)-III	Delhi Jal Board, W STP, Keshopur Outer Ring Road, Near Vikas Puri, New Delhi-18	28540803
13	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-VI	Delhi Jal Board, W STP, Keshopur Outer Ring Road, Near Vikas Puri, New Delhi-18	28540803
14	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-VIII	Delhi Jal Board, Near Guru Gobind Singh University, Dwarka, Sector-16, New Delhi.	--
15	EXECUTIVE ENGINEER (C) SDW-NW	Delhi Jal Board, W STP, Keshopur Outer Ring Road, Near Vikas Puri, New Delhi-18	28544102
16	SUPERINTENDING ENGINEER (SDW)-IV	Delhi Jal Board, Sewage disposal works, Okhla, Mathura Road, New Delhi.	26842946
17	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-I	Delhi Jal Board, Kilokari SPS, Jal Vihar, Lajpat Nagar, New Delhi-24	22611333
18	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-II OKHLA STP	Delhi Jal Board, Sewage disposal works, Okhla, Mathura Road, New Delhi.	26838404
19	EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-XI	Delhi Jal Board, Kilokari SPS, Jal Vihar, Lajpat Nagar, New Delhi-24	29818646
20	EXECUTIVE ENGINEER (C) SDW SOUTH EAST	Delhi Jal Board, Sriniwaspuri, New Delhi-65	26936640

दिल्ली जल बोर्ड: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय कार्यपालक अभियंता (योजना) मल
वरुणालय प्रथम चरण, करोल बाग, नई दिल्ली-5

सार्वजनिक सूचना

सेप्टिक टैंक अपशिष्ट के संग्रहण तथा परिवहन के लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं!

- दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सेप्टिक टैंक अवजल प्रबंधन विनियम 2015 एवं दिल्ली जल बोर्ड एक्ट-1998 के अंतर्गत अवजल अपशिष्ट को संग्रहण, परिवहन एवं निपटान से संबंधित सभी परिस्थितियों हेतु!
- अधिनियम के अनुसार, सेप्टिक टैंक अपशिष्ट के संग्रहण संवहन एवं निपटान, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा स्वीकृति केवल लाइसेंसधारी एजेसी द्वारा ही किया जाएगा!
- सेप्टिक टैंक अपशिष्ट के संग्रहण संवहन एवं निपटान हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं!
- उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र का प्रारूप, नियम एवं शर्तें दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट या दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट www.delhijalboard.nic.in पर वर्णित कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं!
- प्रार्थना पत्र दिल्ली जल बोर्ड के अधिकृत कार्यालयों में सूचना के एक महीने के भीतर पहुँचाने चाहियें!

अधिसासी अभियंता (योजना) मल

सेप्टेज के संग्रहण, संवहन तथा निपटान हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

फोटो

दिल्ली जल बोर्ड संग्रहण, संवहन तथा निबटान हेतु लाइसेंस लेने लिए प्रार्थना पत्र!

1. आवेदक का नाम: श्री/सुश्री _____
2. राष्ट्रीयता : भारतीय _____ अन्य _____
3. पता: पंजीकृत कार्यालय _____
मुख्य कार्यालय _____
4. दूरभाष संख्या कार्यालय _____ मोबाइल नम्बर _____
5. गाडी/गाडियों का पंजीकरण क्रमंक
6. गाडी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र किस तिथि तक मान्य है:
7. गाडी का बीमा की वैधता किस तिथि तक मान्य है:
8. गाडी का फिटनेस की वैधता किस तिथि तक मान्य है:
9. क्या गाडी में जी पी एस सिस्टम लगा हुआ है:
10. गाडी के रिसाव मुक्त/दुर्गन्ध रोधी होने के प्रमाण सहित अवजल कों खीचनें तथा प्रवाहित करनें हेतु व्यवस्था किसी का भी प्रमाण संलग्न करें!
11. लाइसेंस देने हेतु प्रक्रिया आरम्भ करनें का शुल्क रूपयें 1000/- यह राशि लौटाई नहीं जाईगी!
डिमॉड डाफ्ट संख्या _____ दिनोंक _____ बैंक का नाम _____

मै/ हम प्रमाणित करते है कि मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त कालम संख्या 1 से 11 में दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी तथा विश्वास से सही है! मै इस बात से सहमत हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा दी गयी कों जानकारी यदि असत्य पायी जाती है तों लाइसेन्स रद्द किया जा सकेंगा!

दिनोंक

आवेदक का नाम

संलग्न दस्तावेजों की संख्या

दिल्ली जल बोर्ड सैप्टिक टैंक अपशिष्ट प्रबंधन विनियम 2015

दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 का विधेयक संख्या 4 की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करते हुए बोर्ड द्वारा प्रदत्त सैप्टिक टैंक कें अपशिष्ट तथा उससे जुड़े पदार्थों एवं उससे माध्यमिक या सम्बन्धित प्राथी कें संग्रहण, संवहन तथा निबटन कें लिए निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं:

अध्याय 1

1. इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड सैप्टिक टैंक अपशिष्ट प्रबंधन विनियम 2015 कहा जाएगा!
2. ये विनियम दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 धारा 109 3 की शर्त पर बोर्ड द्वारा जारी किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे!

2 परिभाषा

- 1 अधिनियम से अभिप्राय दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 अधिनियम संख्या 4 है!
- 2 बोर्ड से अभिप्राय उक्त अधिनियम में वर्णित बोर्ड से है!
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अभिप्राय बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी!
- 4 ड्रेन से अभिप्राय है पाइपों की पंक्ति सहित सभी फिटिंग्स जैसे मेनहोल ट्रेप गली तथा फर्श की ट्रेप जो कि एक भवन अथवा भवनों एवं भवन से लगे खुले स्थान जो उसी परिसर में हो तथा जिसमें भवन की नाली भी सम्मिलित है
- 5 लाइसेंस से अभिप्राय: है दिल्ली जल बोर्डकें प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता द्वारा इस उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को दी गयी लिखित अनुमति जिसमें समयावधि, नाम तथा पता व मार्ग वर्णित हों!
- 6 मेनहोल से अभिप्राय है सीवर तथा बंद ढाचें के निरीक्षण हेतु खुला स्थान जिसमें आदमी प्रवेश कर सकें ताकि सीवर की सफाई, निरीक्षण, अनुरक्षण आदि कर सकें तथा इस खुले स्थान पर उपयुक्त ढक्कन की व्यवस्था हों!
- 7 अधिसूचित क्षेत्र से अभिप्राय है दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्धारित एवं परिभषित स्थान!
- 8 अवजल सैप्टेज से अभिप्राय है सैप्टिक टैंक में एकत्र होने वाले अपशिष्ट पदार्थ !
- 9 सैप्टिक टैंक से अभिप्राय है एक भूमिगत टैंक जिसमें ठोस अपशिष्ट तथा एनोराविक डाइजेशन कें संग्रहण से अवजल उपचारित होता है, इसमें अपशिष्ट को सोक पिट अथवा छोटे वोर सीवर में प्रवाहित किया जाता है तथा ठोस अपशिष्ट को समय-समय पर पम्पिंग द्वारा निकाला जाता है!

- 10 सीवर सें अभिप्राय है समुदाय के तरल अपशिष्ट कें संवहन हेतु डालें गए कनड्यूटस अन्यथा सीवेज तथा सलज रूपी पदार्थ!
- 11 सीवेज पम्पिंग स्टेशन सें अभिप्राय दिल्ली जल बोर्ड का पम्प हाउस जहां सें सीवेज कों वांछित स्थान पर पम्प करके छोडा जाता है!
- 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट से अभिप्राय वह स्थान जहाँ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवेज उपचारित किया जाता है!
- 13 सीवेज सें अभिप्राय अर्ध ठोस अवस्था में एकत्रित ठोस पदार्थ से है! यह पदार्थ सैप्टिक टैंक आदि के तल पर ठोस और अपशिष्ट पदार्थ का मिश्रण होता है, सीवेज सलैज का मतलब सामान्य तथा केन्द्रीयकृत अवजल उपचार प्रक्रिया कें पश्चात अवशेष से है जबकि सैपटेज का अभिप्राय सैप्टिक टैंक में ठोस अवशिष्ट सें है!
- 14 पंजीकृत वाहन सें अभिप्राय है राज्य की परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उदेश्य के लिए पंजीकृत वाहन
- 15 उपचार से अभिप्राय किसी अपशिष्ट अथवा अवजल कों भौतिक, रसायनिक अथवा जैविक तथा विकिरण कृमि द्वारा परिवर्तित करना जिससे कि प्रदूषण रोका जा सके अथवा कम किया जा सके!

इन विनियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्द तथा अभिव्यक्तियों जो कि इन विनियमों के यहां परिभाषित नहीं है! परन्तु अधिनियम में परिभाषित है उनका वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में दिया गया है अथवा उक्त की अनुपस्थिति में उसका अर्थ जल प्रदाय एवं अवजल उपचार/निपटान उद्योग में सामान्यता समझा जाने वाला होगा!

अध्याय द्वितीय

सैप्टिक टैंक के अपशिष्ट तथा इससे जुड़े पदार्थों के संग्रहण तथा संवहन हेतु लाइसेंस

3. लाइसेंस बोर्ड द्वारा जारी किया जायेगा!

दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बोर्ड के अधिकारियों को सैप्टिक टैंक के अपशिष्ट तथा उससे जुड़े पदार्थों का अधिसूचित स्थान पर संवहन करने के लिए लाइसेंस देने के लिए अधिकृत किया जाएगा!

इन विनियमों के संलग्नक-1 में दिए गये पत्र में लाइसेंस जारी किया जाएगा तथा वह जारी किए जाने की तिथि से दो वर्ष के लिए मान्य होगा बशर्ते कि उससे पहले निरस्त न कर दिया गया हो!

4. लाइसेंस जारी करने के लिए मानदंड

आवेदन के पास अपना वाहन होना चाहिए, रिसावमुक्त तथा दुर्गन्ध रोधी तथा जिसमें टैंक में से अवजल खींचने तथा प्रवाहित करने की व्यवस्था हो! वाहन को दिल्ली में चलाने का वैध परमिट होना चाहिए! आवेदक के पास इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए! कर्मचारियों के पास अपशिष्ट के संग्रहण, संवहन तथा निर्धारित स्थान पर निबटान करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा अन्य व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए!

5. लाइसेंस के लिए आवेदन!

सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट के संग्रहण, संवहन तथा निर्धारित स्थान पर निबटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र मुख्य अभियंता सिविल द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर किया जाएगा!

6. लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करना!

इच्छुक आवेदकों से लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट तथा समाचार पत्रों एवं अनन्य प्रचार माध्यमों से सूचना दी जाएगी!

7. लाइसेंस के लिए शुल्क

लाइसेंस देने हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आवेदक से रुपये 1000/- रुपये एक हजार की राशि आवेदन शुल्क के रूप में लिया जाएगा!

8. कार्य संचालन गारंटी

लाइसेंसधारी द्वारा बोर्ड के पास रुपये दस हजार की राशि कार्य संचालन गारंटी के रूप में जमा करायी जाएगी जिससे किसी प्रकार की अवहेलना होने पर जब्द किया जाएगा!

9 लाइसेंस धारी एजेन्सियों के बारे में प्रचार

इन विनियमों के अन्तर्गत जारी सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट के संग्रहण, तथा निबटान के कार्य करवाने के लिए बोर्ड द्वारा विस्तृत प्रचार किया जाएगा!

10 जागरूकता कैम्प

सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट के संग्रहण, संवहन तथा निबटान इन लाइसैसधारी एजेसियों के द्वारा करवाए जाने हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जन जागरूकता कैम्प आयोजित किए जाएंगे!

अध्याय तृतीय

11 सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट का संग्रहण तथा संवहन!

सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट के संग्रहण तथा संवहन केवल लाइसेंस धारी एजेन्सियों द्वारा ही किया जाएगा:- सैप्टिक टैंक से अवजल का संग्रहण तथा संवहन केवल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इन विनियमों के संगलक-1 के अनुसार जारी वैध लाइसेंस धारी द्वारा ही किया जाएगा!

12 भवन के स्वामी/अधिवासी द्वारा केवल लाइसेंस धारी से काम कराया जाएगा!

- सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट का संग्रहण तथा संवहन केवल लाइसेंस धारी एजेन्सियों से ही करवाने का उत्तरदायित्व भवन के स्वामी/ अधिवासी का होगा!
- भवन के स्वामी/अधिवासी द्वारा कार्य करवाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाइसेंस वैध है उसके द्वारा संग्रहण तथा संवहन तथा संवहन रिकार्ड पर, जो कि इन विनियमों के संगलक-2 प्रप पर होगा हस्ताक्षर किए जाएंगे!

13 सैप्टिक टैंक के अपशिष्ट के संग्रहण व संवहन के लिए देय शुल्क

- सैप्टिक टैंक के अपशिष्ट का अधिसूचित अवजल पम्पिंग स्टेशन/अवजल उपचार संचंत्र तक संग्रहण व संवहन करने के लिए देय शुल्क का निर्धारण दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जाएगा!
- निधारित शुल्क से अधिक राशि लाइसेंसधारी द्वारा भवन के स्वामी/ अधिवासी से नहीं की जा सकेगी!
- निर्धारित शुल्क से अधिक की राशि के लिए किसी प्रकार की मांग किए जाने पर लाइसेंसधारी का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा तथा इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड भी लगाया जाएगा!

14 सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट के संवहन हेतु वाहन

सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट के संवहन हेतु वाहन हेतु केवल दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकृत द्वारा स्वीकृत वाहन से ही किया जा सकेगा!

15 संवहन के दौरान सावधानिया ।

लाइसेंस धारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सैप्टिक टैंक से निर्धारित [संग्रहण/निबटान](#) स्थल तक अपशिष्ट के संवहन के दौर वाहन से अवजल का रिसाव नहीं होगा!

16 दुर्घटना होने पर सावधानियाँ :-

सैप्टिक टैंक से निर्धारित संग्रहण स्थल तक अपशिष्ट के संवहन के दौरान वाहन के किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में प्रदूषण के खतरों से निबटने के लिए वाहन में निर्धारित उपकरण लगे होने चाहिए !

17 दुर्घटना होने की दशा में लाइसेंसधारी की पूरी जिम्मेदारी होगी:-

किसी प्रकार की दुर्घटना या आपदा की स्थिति में किसी भी वाहन,व्यक्ति, सम्पति तथा प्रयावरण को होने वाली किसी भी क्षति के लिए लाइसेंसधारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा!

18 कार्यरत कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय:-

सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट के संग्रहण एवं निबटान के कार्य पर लगाए गए कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित उपायों के अनुसार समस्त सुरक्षा की व्यवस्था करनें जिसमें गैस का पता लगाने के लिए हाथ से उठाए जाने वाले उपकरण, गैस मास्क, सुरक्षात्मक गीयर, आक्सीजन सिलेण्डर सहित आक्सीजन मास्क, प्राथमिक उपचार पेटी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी होगा!

19 सैप्टिक टैंक के अवजल का निबटान:-

- a. लाइसेंस धारी द्वारा सैप्टिक टैंक के अपशिष्ट का निबटान केवल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अधिसूचित स्थान पर ही किया जाएगा!
- b. लाइसेंसधारी द्वारा सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट के संग्रहण व निबटान का वास्तविक विवरण इन विनियमों के संलग्नक-2 पर निर्धारित प्रपत्र भरकर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अधिसूचित स्थान पर अपशिष्ट को प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर्मचारी को दिया जाएगा!

20 कर्मचारियों को प्रशिक्षण:-

किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर पर्यावरण कम से कम प्रभावित होन सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसधारी अपशिष्ट के संग्रहण, संहन तथा निबटाना के कार्य पर लगाए गए कर्मचारियों द्वारा सुरक्षात्मक उपकरणों के प्रभावी उपयोग हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी होगा!

21 कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण:-

लाइसेंसधारी द्वारा लगायें गए प्रत्येक कर्मचारी का वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा तथा उससे सम्बन्धित रिकार्ड दिल्ली जल बोर्ड में लाइसेंस के नवीकरण के समय प्रस्तुत किया जाएगा!

22 बीमा:-

सैप्टिक टैंक से अपशिष्ट के संग्रहण, संवहन तथा निबटान के कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए कर्मचारियों का बीमा कराना सुनिश्चित करना होगा!

23 लाइसेंस रद्द करना:-

इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की दशा में लाइसेंस रद्द किया जाएगा लाइसेंस की प्रतिभति जब्त की जाएगी तथा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी होगा!

अध्याय चतुर्थ सैप्टिक टैंक के अपशिष्ट का निबटान

24 निबटान स्थलो की पहचान करना :-

दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बोर्ड के 30 सीवेज पम्पिंग स्टेशनों अथवा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की पहचान की जाएगी तथा उन्हें अधिसूचित किया जाएगा जहाँ पर लाइसैसधारी द्वारा सैप्टिक टैंक के अपशिष्ट को निस्तारण किया जा सकेगा!

25 अवजल को प्राप्त करने के लिए ढाँचागत व्यवस्था करना:-

अधिसूचित स्थान पर लाइसैस धारी द्वारा लाए गए अपशिष्ट को प्राप्त करने तथा उसका उपयुक्त ढंग से निस्तारण करने के लिए बोर्ड द्वारा आवश्यक ढाँचागत व्यवस्था तथा उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी!

26 अपशिष्ट को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की लगाना:-

बोर्ड द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थान पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी लगाए जाएंगे जिससे कि वहाँ पर अपशिष्ट को प्राप्त किया जा सके तथा उसका निस्पादन सीवेज पम्पिंग स्टेशन अथवा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जैसा भी आपका हो, के माध्यम से किया जा सकेगा!

27 अपशिष्ट को प्राप्त करने के लिए समयावधि:-

प्रत्येक अधिसूचित स्थान पर कर्मचारियों द्वारा प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपशिष्ट प्राप्त किया जाएगा!

28 औद्योगिक कचरा स्वीकार नहीं किया जाएगा:-

बोर्ड द्वारा किसी भी अधिसूचित स्थान पर औद्योगिक कचरा युक्त अपशिष्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा!

29 अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए प्रशिक्षण:-

अधिसूचित स्थानों पर लगाए गए बोर्ड के कर्मचारियों का अपशिष्ट को प्राप्त करने तथा उसका निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा!

अध्याय पंचम विविध

30 वाहन पर रंग संकेत एवं लाइसैस का प्रदर्शन:—

- a. मलकुण्ड अपशिष्ट के निसरण के लिए प्रयुक्त वाहन पर लाइसैस की प्रति उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी!
- b. वाहन/कन्टेनर का रंग पीला होना चाहिए तथा उस पर लाल रंग से मलकुण्ड अपशिष्ट हिन्दी में सैप्टिक टैंक इंगलिश में लिखा होना चाहिए!

31 जी पी एस सिस्टम लगाना:—

मलकुण्ड अपशिष्ट के संवहन के लिए प्रयुक्त प्रत्येकवाहन पर जी पी एस सिस्टम लगा होना चाहिए तथा इस वाहन की जानकारी रखने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिसूचित एजेन्सी तथा दिल्ली जल बोर्ड को अधिकार दिया जाएगा!

संलग्नक—प्रथम

मलकुण्ड अपशिष्ट के संग्रहण तथा संवहन के लिए लाइसेंस

उप-नियम/विनियमों के सभी निबंधनों एवं शर्तों के तथा इस लाइसेंस से सम्बन्धित विशेष शर्तों एवं लागू नियमों तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के कानून के अनुसार एदतद्वारा अनुमति दी जाती है!

लाइसेंसधारी का नाम -----

पता -----

सैण्टिक टैंक के अपशिष्ट को -----

सीवेज पम्पिंग स्टेशन /सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट पर विसर्जन करने के लिए यह लाइसेंस दिया जाता है!

यह लाइसेंस सैण्टिक टैंक के अपशिष्ट के संवहन के लिए दिए गए आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी पर आधारित है!

यह लाइसेंस नीचे वर्णित अवधि के लिए प्रभावी है! इस लाइसेंस को इसकी शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में निरस्त या मुआतिल किया जा सकेगा! मूल लाइसेंस को लाइसेंस धारी के कार्यालय में रखा जाएगा! उस लाइसेंस की प्रति को उपरोक्त कार्य हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में रखना होगा!

प्रभावी तिथि

वैधता समाप्ति की तिथि

सैण्टिक टैंक के अपशिष्ट के निस्तारण से सम्बन्धित किसी भी अधिनियम नियमों विनियमों के उल्लंघन अथवा सुरक्षा मानकों का अनुपालन न किये जाने पर अथवा अमान्य तरीके से अपशिष्ट का निस्तारण करते पाये जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा!

संलग्नक—द्वितीय

संग्रहण एवं संवहन अभिलेख प्रपत्र

लाइसेंस धारक द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

1 अपशिष्ट की पहचान

- क मात्रा
ख प्रकार
सैप्टिक टैंक अन्य
ग पता

2 अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले का विवरण

- क नाम
ख टेलिफोन नम्बर
ग पता
ध पिन कोड संख्या

निम्न हस्ताक्षरकर्ता जो कि इस कार्य के लिए प्राधिकृत है एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि अपशिष्ट स्रोत तथ प्रकार संग्रहण और संवहन से संबंधित विवरण सही है!

दिनांक

रिपोर्ट बनाने वाले के हस्ताक्षर

3 प्रचालक/ट्रान्सपोर्टर का विवरण

- क कम्पनी का नाम _____
ख परमिट संख्या _____
ग वाहन के लाइसेंस का विवरण _____
ध पम्प आउट करने की तिथि

उपरोक्त वर्णित अपशिष्ट का संग्रहण और स्तारण मरे द्वारा नीचे वर्णित निस्तारण सुविधा पर किया गया है, मैं प्रमाणित करता हूँ उपरोक्त विवरण सत्य और सही है!

अधिकृत एजेन्ट के हस्ताक्षर तथा स्थिति

उपरोक्त ट्रान्सपोर्टर ने उपरोक्त वर्णित अपशिष्ट के इस निस्तारण स्थान पर पहुँचाया था का तथा उसे स्वीकार किया गया!

विस्तारण की तिथि

ट्रॉसपोर्टर से वसूली गई राशि

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा स्थिति

टिप्पणी:—

दिल्ली जल बोर्ड सैप्टिक टैंक अपशिष्ट प्रबन्धन विनियम 2015 निवेधनों एवं शर्तों तथा इन विनियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश मार्गदर्शन की शर्त पर!

नियम एवं शर्तें

1 लाइसेंस बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी!

मुख्य अभियंता (वि एवं यां) योजना को जल बोर्ड द्वारा मलकुण्ड अपशिष्ट के संग्रहण एवं निपटान हेतु लाइसेंस देने के लिए अधिकृत किया गया है!

सह लाइसेंस संलग्नक प्रथम में दिए गए प्ररूप के अनुरूप पदो वर्ष के लिए वैध होगा! जबतक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की गई हो!

2 लाइसेंस जारी करने का मापदण्ड

अ आवेदनकर्ता के पास रिसाव मुक्त गंध मुक्त और छलकनरोधी, निर्वात चुषक एवं प्रवाहित करने की व्यवस्था से सज्जित अपना वाहन होना चाहिए! आवेदनकर्ता के पास दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत स्वीकृत वाहन चलाने का परमिट होना चाहिए!

आवेदनकर्ता के पास उपयुक्त मात्रा में इस कार्य हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए!

अवजल निपटान हेतु कर्मचारियों के पास सुरक्षा उपकरणों के पूर्ण रूप से सुसज्जित होना चाहिए

3 लाइसेंस के लिए शुल्क (प्रति वाहन)

दिल्ली जल बोर्ड प्रत्येक वाहन के लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन शुल्क के रूप में मात्र 1000/- रूपयें गैर वापसी लेगा! यह शुल्क दिल्ली जल बोर्ड के पक्ष में इलैक्टॉनिक रूप या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान किया जाएगा!

4 निष्पादन गारंटी (प्रति वाहन)

लाइसेंसधारी की किसी भी नियम के उल्लंघन के मामले में जमाराशि जब्त कर ली जाएगी! जो प्रत्येक वाहन के लिए रूपयें 10000/-मात्र निष्पादन गारंटी जमा करेगा!

5 सेप्टेज का संग्रहण तथा संवहन!

दिल्ली जल बोर्ड ने जिन एजेसियों को इस कार्य के लिए लाइसेंस प्रदान किया है केवल वो एजेसिया ही सेप्टेज का संवहन तथा संग्रहण का कार्य कर सकेगी!

उपरोक्त के किसी भी उल्लंघन के मामलों में लाइसेंस धारी द्वारा यह कार्य करने पर जल बोर्ड उस एजेंसी के विरुद्ध दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी!

6 भवन के मालिक/किरायदार कार्य केवल लाइसेंस धारी को ही लगायें!

अ प्रत्येक मकान मालिक/किरायदार का यह कर्तव्य है कि वह दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा निर्धारित लाइसेंसधारी को ही सेप्टेज के संग्रहण एवं संवहन के लिए लगायें

ब प्रत्येक मकान मालिक/किरायदार यह सुनिश्चित करेगा कि सेप्टेज के संग्रहण एवं निपटान हेतु लगाये गये एजेसी का लाइसेंस उक्त दिनों तक वैध है! वह संग्रहण व संवहन के निर्धारित रिकार्ड अनुबंध के अनुसार अपने हस्ताक्षर युक्त संलग्न करेगा!

7 सेप्टेज के संग्रहण एवं संवहन शुक्ल के लिए

- क मलकुण्ड अपशिष्ट के संग्रहण के लिए व परिवहन के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा समय समय पर शुल्क निर्धारित किया जाएगा!
- ख भवन के मालिक/किरायेदार से कोई भी लाइसेंसधारी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूल नहीं करेगा!
- ग जो लाइसेंसधारी मलकुण्ड अपशिष्ट के संग्रहण व संवहन के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक वसूलेगा उसका लाइसेंस दिल्ली जल बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाएगा तथा उस पर निर्धारित जुर्माना भी लगाया जाएगा!

8 मलकुण्ड अपशिष्टों के संवहन के लिए वाहन!

मलकुण्ड अपशिष्ट परिवहन के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी द्वारा मंजूरी प्राप्त वाहनों द्वारा ही किया सकेगा!

9 मलकुण्ड अपशिष्ट परिवहन के दौरान सावधानियाँ

लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मलकुण्ड अपशिष्ट के परिवहन के दौरान संग्रहण स्थान से निपटान स्थान तक कोई रिसाव नहीं होगा!

10 दुर्घटना के मामलों में निवारक उपाय

मलकुण्ड अपशिष्ट परिवहन के लिए जाते समय प्रदूषण के खतरों को रोकने के लिए निर्धारित उपकरणों का प्रबंध होना चाहिए!

11 दुर्घटना के मामलों में लाइसेंसधारी का पूर्ण दायित्व

लाइसेंसधारक दुर्घटना के समय किसी भी व्यक्ति, वाहन अथवा सम्पति व पर्यावरण की हानि के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा!

12. कर्मचारियों की सुरक्षा के उपाय

मलकुण्ड अपशिष्ट के निपटान के लिए लगाए गये कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण जैसे गैस डिटेक्टर, गैस मास्क, सुरक्षा गियर, आक्सीजन मास्क, आक्सीजन सिलिण्डर, प्राथमिक चिकित्सा बाक्स आदि अन्य उपाय करने के लिए कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा मान्य लाइसेंसधारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा!

13 मलकुण्ड अपशिष्ट के निपटान

क लाइसेंसधारी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थान पर ही मलकुण्ड अपशिष्ट का निपटान करेगा!

ख लाइसेंसधारी मलकुण्ड अपशिष्ट के संग्रहण व निपटान के लिए निर्धारित प्ररूप के अनुसार तथ्यात्मक विवरणों के साथ पूर्ण भरी हुई, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के द्वारा सत्यपित ही प्रस्तुत करेगा!

14 कर्मचारियों का प्रशिक्षण

लाइसेंसधारी मलकुण्ड अपशिष्ट के संग्रहण संवहन व निपटान के दौरान दुर्घटना के मामलों में पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के विषय में प्रशिक्षण देगा तथा पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा!

15 कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जाँच

लाइसैसधारी इस कार्य में तैनात कर्मचारियों की कम से कम वर्ष में एक बार स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित करेगा तथा लाइसैस नवीनीकरण के समय दिल्ली जल बोर्ड में जमा करेगा!

16 बीमा

लाइसैसधारी द्वारा मलकुण्ड अपशिष्ट के संग्रहण सवहन व निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना के लिए कर्मचारियों का बीमा करवायेगा!

17 लाइसैस का निरस्तीकरण

उपरोक्त नियमों का उल्लंघन के मामले में लाइसैस निरस्त कर दिया जायेगा और सुरक्षा राशि जब्त करने के अलावा निर्धारित दण्ड के भुगतान का उत्तरदायी होगा!

18 निपटान स्थलों की पहचान

विभाग सीवेज पम्पिंग स्टेशन/सीवेज उपचार प्लॉट चिन्हित तथा सूचित करेगा जहाँ लाइसैसधारी ऐजेसियों अपशिष्ट का निपटान कर सकते हैं!

19 अपशिष्ट प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती!

विभाग द्वारा अपशिष्ट को प्राप्त करने के लिए सीवेज पम्पिंग स्टेशन/सीवेज उपचार प्लॉट के माध्यम से अधिसूचित स्थान पर प्रर्याप्त व प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती करेगा!

20 अपशिष्ट प्राप्त करने का समय

अपशिष्ट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रत्येक अधिसूचित स्थान पर जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिन प्राप्त किया जाएगा!

21 औद्योगिक अपशिष्ट नहीं प्राप्त किया जाएगा

दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा अधिसूचित स्थानों में से किसी भी स्थान पर औद्योगिक अपशिष्ट नहीं प्राप्त किया जाएगा!

22 वाहन पर लाइसैस और कोडिंग का प्रदर्शन

क लाइसैस की एक प्रति अपशिष्ट के परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहन पर प्रदर्शित की जायेगी!

ख वाहन/कंटेनर/टैंकर को पीले रंग से रंगा जाएगा और उस पर लाल रंग से 'SEPTIC TANK WASTE (अंग्रजी में) मल कुण्ड अपशिष्ट (हिन्दी में) लिखा जाएगा!

23 जी.पी.एस G.P.S. प्रणाली की स्थापना

अपशिष्ट परिवहन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक वाहन पर जी पी एस (GPS) प्रणाली लिखा होना चाहिए तथा एक्सेसराइट विभाग को प्रदान की जाएगी जिससे वाहनों की ट्रेकिंग मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिसूचित संस्था के साथ किया जायेगी!

23 लाइसेंस के लिए आवेदन

लाइसेंस के आवेदन के लिए फार्म व नियम व शर्तों के साथ दिल्ली जल बोर्ड के निर्धारित कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है इसी तरह आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ विधिवत रूप से भरा आवेदन पत्र मूल दस्तावेजों की प्रति के साथ मिलान करने पर दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में जमा की जा सकती है!

नोडल प्राधिकरण यानि मुख्य अभियंता (वि एवं यां) योजना के द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात लाइसेंस आवेदक को डाक द्वारा भेजा जायेगा तथा दिल्ली जल बोर्ड के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा! वहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है!

अपशिष्ट के संग्रहण, संवहन व निपटान के लाइसेंस के लिए आवेदन को प्रारूप के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा!

- 1 प्रारूप उपरोक्तानुसार विधिवत भरा हुआ!
- 2 वाहनो की संख्या पंजीकरण व निर्माण के वर्ष के साथ सूची!
- 3 परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त वैद्य परमिट की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि!
- 4 पत्राचार के लिए पता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि!
- 5 कर्मचारियों की सूची!
- 6 अपशिष्ट उठाने के कार्यों में पिछले अनुभवों का विवरण!
- 7 प्रत्येक वाहन के साथ सुरक्षा उपकरणों की सूची!
- 8 दिल्ली जल बोर्ड के पक्ष में 1000/- मात्र इलेक्ट्रॉनिक भुगतान या डी डी/ पे आर्डर प्रत्येक वाहन के अनुसार!
- 9 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी प्रति वाहन रूपये 10000/- की बैंक गारंटी तीन वर्षों के लिए मुख्य कार्यकारी दिल्ली जल बोर्ड के पक्ष में!
- 10 आवेदनकर्ता मूल प्रमाणपत्रों के साथ वाहन का परमिट, पतों का प्रमाणपत्र सत्यापन के समय मूल प्रतियों प्रदर्शित करेगा!

उपरोक्त नियम व शर्तें स्पष्ट रूप से समझ ली गई है मैं/हम पूरी तरह से इसका पालन करने के लिए सहमत है!

नाम

पता

मोबाइल नम्बर

दिल्ली जल बोर्ड के अधिकृत कार्यालयों की सूची जहाँ सं सेप्टेज निर्वहन के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र प्राप्त व जमा कराए जा सकते हैं!

क्रम संख्या	अधिकारी का पद	पत्ता	टेलिफोन नम्बर
1	मुख्य अभियंता (इ एण्ड एम) नोडल आफिसर, लाइसेंस स्वीकृति प्राधिकरण	दिल्ली जल बोर्ड किलोकरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन, लाजपत नगर, दिल्ली-110024	29811352
2	अधीक्षण अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू) I	दिल्ली जल बोर्ड, कौंडली सीवेज उपचार संयंत्र, वजीराबाद रोड दिल्ली!	22611333
3	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)III	दिल्ली जल बोर्ड, यमुना विहार, सीवेज उपचार संयंत्र, वजीराबाद रोड दिल्ली!	22814128
4	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)XIV	दिल्ली जल बोर्ड किलोकरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन, जल विहार, लाजपत नगर, दिल्ली-110024	29812939
5	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)XIII	दिल्ली जल बोर्ड, यमुना विहार, सीवेज उपचार संयंत्र, वजीराबाद रोड दिल्ली!	22812784
6	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)IV	दिल्ली जल बोर्ड, कौंडली सीवेज उपचार संयंत्र, वजीराबाद रोड दिल्ली!	22613756
7	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)V	दिल्ली जल बोर्ड, रिंग रोड, सीवेज उपचार संयंत्र, महारानी बाग, आशाराम कासिंग दिल्ली!	26344231
8	अधीक्षण अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू) II	दिल्ली जल बोर्ड, रिठाला सीवेज उपचार संयंत्र, रोहिणी सेक्टर 11, रिठाला मेट्रो स्टेशन, दिल्ली!	27044350
9	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)VII	दिल्ली जल बोर्ड, रिठाला सीवेज उपचार संयंत्र, रोहिणी सेक्टर 11, रिठाला मेट्रो स्टेशन, दिल्ली!	27040740
10	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)IX	दिल्ली जल बोर्ड, रिठाला सीवेज उपचार संयंत्र, रोहिणी सेक्टर 11, रिठाला मेट्रो स्टेशन, दिल्ली!	27048403
11	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)XII	दिल्ली जल बोर्ड, रिठाला सीवेज उपचार संयंत्र, रोहिणी सेक्टर 11, रिठाला मेट्रो स्टेशन, दिल्ली!	27048474
12	अधीक्षण अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)III	दिल्ली जल बोर्ड, सीवेज उपचार संयंत्र, केशोपुर,बाहरी दिल्ली, विकासपुरी के पास दिल्ली-18	28540803
13	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)VI	दिल्ली जल बोर्ड, सीवेज उपचार संयंत्र, केशोपुर,बाहरी दिल्ली, विकासपुरी के पास दिल्ली-18	28540803
14	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)VIII	दिल्ली जल बोर्ड, सीवेज उपचार संयंत्र, केशोपुर,बाहरी दिल्ली, विकासपुरी के पास दिल्ली-18
15	अधिशाली अभियंता (C) (एस0डी0डब्ल्यू)NW	दिल्ली जल बोर्ड, सीवेज उपचार संयंत्र, केशोपुर,बाहरी दिल्ली, विकासपुरी के पास दिल्ली-18	28544102
15	अधीक्षण अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)IV	दिल्ली जल बोर्ड, सीवेज डिस्पोजल वर्क्स, औखला, मथुरा रोड, नई दिल्ली	26838404
17	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)I	दिल्ली जल बोर्ड किलोकरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन, लाजपत नगर, दिल्ली-110024	22611333
18	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)II	दिल्ली जल बोर्ड, सीवेज डिस्पोजल वर्क्स, औखला, मथुरा रोड, नई दिल्ली	26838404
19	अधिशाली अभियंता (एस0डी0डब्ल्यू)XI	दिल्ली जल बोर्ड किलोकरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन, लाजपत नगर, दिल्ली-110024	29818646
20	अधिशाली अभियंता (C) (एस0डी0डब्ल्यू)SW	दिल्ली जल बोर्ड श्रीनिवासपुरी नई दिल्ली-110065	26936640

विषय-सेप्टेज के निर्वहन/उतारनें के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज पम्पिंग स्टेशन की जिलेवार स्थान
पश्चिम

क्रम संख्या	सीवेज पम्पिंग स्टेशन का नाम	पता
1	सैयद नागलोई सीवेज पम्पिंग स्टेशन	सैयद नागलोई शमशान घाट के पास!
2	पंजाबी बाग सीवेज पम्पिंग स्टेशन	पंजाबी बाग शमशान घाट के पास!
3	केशोपुर 12 एम जी डी सीवेज पम्पिंग स्टेशन	केशोपुर सीवेज पम्पिंग स्टेशन के अंदर
4	केशोपुर 20 एम जी डी सीवेज पम्पिंग स्टेशन	केशोपुर सीवेज पम्पिंग स्टेशन के अंदर
5	केशोपुर 40 एम जी डी सीवेज पम्पिंग स्टेशन	केशोपुर सीवेज पम्पिंग स्टेशन के अंदर
6	सीवेज पम्पिंग स्टेशन, रोहिणी सेक्टर 19	दिल्ली जल बोर्ड, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, रोहिणी सेक्टर 19, मैट्रो स्टेशन रेलवे लाइन के पास दिल्ली-110085
7	सीवेज पम्पिंग स्टेशन, रोहिणी सेक्टर 23	दिल्ली जल बोर्ड, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, रोहिणी सेक्टर 23, दिल्ली-110085
8	सीवेज पम्पिंग स्टेशन, रोहिणी सेक्टर 25	दिल्ली जल बोर्ड, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, रोहिणी सेक्टर 25, दिल्ली-110085
9	सीवेज पम्पिंग स्टेशन, रामपुरा	रामपुरा गाँव रेलवे लाईन पुल कासड़गं दिल्ली 110041
10	नागलोई सीवेज पम्पिंग स्टेशन	जे जे कालोनी, रेलवे लाइन के पास दिल्ली 110041
11	नरेला सीवेज पम्पिंग स्टेशन	हरिशचन्द्र अस्पताल के पास
12	टी यू ब्लॉक पीतमपुरा सीवेज पम्पिंग स्टेशन	टी यू ब्लॉक पीतमपुरा, नई दिल्ली
13	मोती नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन	चेस्ट क्लीनिक से आगे
14	प्रसाद नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन	राधास्वामी सतसंग के गेट नम्बर 4 के पास
15	रंजीत नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन	सर्वोदय कन्या विद्यालय के पास
16	माधवसेतु सीवेज पम्पिंग स्टेशन	सत्यम सिनेमा, पटेल नगर के पास
17	सी ब्लाक, इंद्रपुरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन	गंगा मंदिर, जे जे कालोनी इंद्रपुरी के पास
18	सुदर्शन पार्क सीवेज पम्पिंग स्टेशन	नाले के पास

दक्षिण-पश्चिम

क्रम संख्या	सीवेज पम्पिंग स्टेशन का नाम	पता
1	टैनर्स कालोनी सीवेज पम्पिंग स्टेशन	एच ब्लाक विकासपुरी के पास!

उत्तर-पूर्व

क्रम संख्या	सीवेज पम्पिंग स्टेशन का नाम	पता
1	घोंण्डा-I सीवेज पम्पिंग स्टेशन	अरविंद नगर डिस्पेंसरी, गामरी रोड, घोण्डा, दिल्ली-110053
2	घोंण्डा-II सीवेज पम्पिंग स्टेशन	मेन घोण्डा चौक, दिल्ली-110053
3	जाफराबाद सीवेज पम्पिंग स्टेशन	डी डी ए फ्लैट न्यू जाफराबाद, दिल्ली-32
4	ब्रह्मपुरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन	गौतमपुरी ओवर हैड टैंक के पास ब्रह्मपुरी दिल्ली-110053
5	50 एम.जी.डी. न्यु यमुना सीवेज पम्पिंग स्टेशन	वाटर ऐमरजेंसी वजीराबाद रोड, दिल्ली-53
6	ईस्ट लोनी रोड सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	लोनी
7	उसमानपुर सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	एम.सी.डी. फ्लैट
8	सीलमपुर सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	जी.टी. रोड, सीलमपुर
9	राम नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	रामनगर
10	लोनी रोड सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	एम.आई.जी. फ्लैट लोनी रोड
11	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रिठाला सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	रोहिणी सेक्टर 11, दिल्ली
12	रिठाला सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	रोहिणी सेक्टर 9, दिल्ली
13	अवंतिका सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	रोहिणी सेक्टर 1, दिल्ली
14	सेक्टर 17, रोहिणी, सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	रोहिणी सेक्टर 17, दिल्ली
15	हैदर पुर सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	रोहिणी सेक्टर 6, दिल्ली
16	शालीमार बाग सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	शालीमार बाग दिल्ली
17	भारत नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	भारत नगर अशोक विहार दिल्ली

पूर्व

क्रम संख्या	सीवेज पम्पिंग स्टेशन का नाम	पता
1	गीता कालोनी सीवेज पम्पिंग स्टेशन	गीता कालोनी एस. पी एस. रानी गार्डन के सामने ताज ऐन्क्लेव के पास. दिल्ली-110031
2	प्रीत विहार सीवेज पम्पिंग स्टेशन	प्रीत विहार सीवेज पम्पिंग स्टेशन मैट्रो पिलर नम्बर 70 निर्माण विहार मैट्रो स्टेशन के सामने, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
3	जाग्रति सीवेज पम्पिंग स्टेशन	जाग्रति सीवेज पम्पिंग स्टेशन, दिल्ली-32
4	कल्याणपुरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन	कल्याणपुरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन, कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन के सामने दिल्ली-110091
5	मंडावली सीवेज पम्पिंग स्टेशन	डालुपुरा सीवेज पम्पिंग स्टेशन शनि मंदिर के सामने दिल्ली-110096
6	डालुपुरा सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	लोनी
7	कोंडली घरौली सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	कोंडली घरौली सीवेज पम्पिंग स्टेशन, कोंडली गाँव डी डी ए कम्युनिटी सेंटर के सामने!
8	शास्त्री पार्क सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	शास्त्री पार्क डी डी ए फ्लैट्स
9	18 एम जी डी दिलशाद गार्डन सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	दिलशाद गार्डन
10	दिलशाद गार्डन सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	सी ब्लॉक स्कूल के सामने दिलशाद गार्डन
11	दिलशाद गार्डन सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	सी ब्लॉक पार्क के सामने दिलशाद गार्डन
12	लेप्रसी होम सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट	लेप्रसी होम
13	मानसरोवर पार्क सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	जी टी बी अस्पताल के पीछे
14	शास्त्री पार्क सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	हनुमान मंदिर के पास
15	बिहारी कालोनी, सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	बिहारी कालोनी
16	दिलशाद गार्डन सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	आर ब्लॉक दिलशाद गार्डन

दक्षिण

क्रम संख्या	सीवेज पम्पिंग स्टेशन का नाम	पता
1	पोसंगीपुर सीवेज पम्पिंग स्टेशन	बी एस इ एस आफिस जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास
2	उत्तम नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन	उत्तम नगर टर्मिनल के पीछे
3	जीवन पार्क सीवेज पम्पिंग स्टेशन	चाणक्य मार्केट के अंत में
4	सेक्टर 7 सीवेज पम्पिंग स्टेशन द्वारका	गोकुल गार्डन के सामने सेक्टर 7 द्वारका
5	सेक्टर 11 सीवेज पम्पिंग स्टेशन द्वारका	लाल बहादुर शास्त्री संस्थान के पास द्वारका सेक्टर 11
6	सेक्टर 16 सीवेज पम्पिंग स्टेशन द्वारका	पप्पनकलॉ 20 एम जी डी सीवेज पंपिंग स्टेशन सेक्टर 16 द्वारका के पास
7	सेक्टर 24 सीवेज पम्पिंग स्टेशन द्वारका	ओ पी जी वर्ड स्कूल सेक्टर 24 द्वारका
8	नजफगढ पार्क सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	मेन रोड साई बाबा मंदिर के पास
9	नेहरू विहार सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	ए ब्लॉक नेहरू विहार
10	सरायकाले खान सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	बस टर्मिनल के पास
11	लोधी रोड सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के पास
12	पी वी होस्टल सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में
13	अर्जुन नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	अर्जुन नगर गुरुद्वारे के पास
14	इ पी आर कालोनी सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	जी के एंक्लेव के पास
15	पुल प्रहलादपुर, सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	सुरजकुंड रोड मंदिर के पास
16	औखला सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	औखला फेस 1 एफ सी आई गोदाम के पास
17	ईस्ट आफ कैलाश सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	कैप्टन गौर मार्ग नाले के पास
18	सरिता विहार सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	ए सरिता विहार एम सी डी आफिस के पास
19	सरिता विहार सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	पॉकेट डी एण्ड ई सरिता विहार
20	वसंत कुंज सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	सेक्टर-सी/9 वसंत कुंज
21	वसंत कुंज सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	सेक्टर-बी/5 वसंत कुंज
22	जसोला सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	जसोला
23	तुगलकाबाद विस्तार सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	तुगलकाबाद
24	दक्षिणपुरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	दक्षिणपुरी
25	किलोकरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	किलोकरी
26	रिंगरोड सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	रिंगरोड
27	बाटला हाउस सीवेज पम्पिंग स्टेशन,	जामिया नगर

मध्य-उत्तर

क्रम संख्या	सीवेज पम्पिंग स्टेशन का नाम	पता
1	भारोला सीवेज पम्पिंग स्टेशन	आर्दश नगर मेट्रो स्टेशन के पास
2	आर यू नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन	जहाँगीर पुरी मेट्रो स्टेशन के पास
3	आर्दश नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन	चाणक्य मार्केट के अंत में
4	जहाँगीर पुरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन	मजलिस पार्क कम्युनिटी सेंटर के पास
5	एस जी टी नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन	जी टी के रोड बायपास
6	मॉडल टाउन सीवेज पम्पिंग स्टेशन	मॉडल टाउन स्टाफ क्वार्टर्स के पास/टी पी डी डी एल आफिस के पास
7	आजाद भवन सीवेज पम्पिंग स्टेशन	आई टी ओ के पास

